ड्यूटी और कर्त्तव्य में सामंजस्य

न्यायाधीश नगेन्द्र कुमार जैन
(पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)

सामान्यत हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक–दूसरे पर निर्भर होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करे, जिसकी अपेक्षा हम स्वयं अपने लिए करते है। ड्यूटी हमें अपने दायित्व का बोध कराती है, जबकि कर्त्तव्य उसे निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाने की प्रेरणा देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्त्तव्य को स्पष्ट करता है– संविधान का सम्मान, देश की एकता–अखंडता की रक्षा, सदभाव बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा तथा प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना आदि।

वर्तमान दौर में अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में डूयूटी तो करना चाहते है, लेकिन उससे जुड़े कर्त्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति अपने अधिकार, वेतन, सुविधा और सम्मान की अपेक्षा रखता है, लेकिन जब अपने कर्त्तव्य निभाने की बात आती है तो अनेक बहाने सामने आ जाते है।

चाहे वह सरकारी सेवा हो या गैर सरकारी हर जगह यह विचार दिखाई देता है कि हमे अपना अधिकार पूरा मिलना चाहिए लेकिन अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कितनी ईमानदारी से किया जा रहा है– इस पर विचार कम होता है।

डॉक्टर की ड्यूटी और मरीज के प्रति कर्त्तव्यः

डॉक्टर से पूछा गया– ‘‘आपका पेशा तो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और मरीज की जान बचाना है। फिर कई बार महँगे टेस्ट और बिना आवश्यकता की महंगी दवाईयाँ क्यों लिखी जाती है ?

कुछ डॉक्टरों का जवाब इस प्रकार हो सकता है– ‘‘हमने डॉक्टर बनने के लिए वर्षो तक पढ़ाई की है, उस पर बहुत खर्च किया है। आखिर उस खर्च की भरपाई कैसे होगी तथा इतने बड़े अस्पतालों

का खर्चा कैसे निकलेगा" यही पर ड्यूटी और कर्त्तव्य का अंतर सामने आता है। डॉक्टर की ड्यूटी मरीज के हित को सर्वोपरि रखना है। यदि चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कोई महंगा टेस्ट आवश्यक है तो उसे करवाना उचित है, लेकिन केवल कमाई के उद्देश्य से अनावश्यक जाँच या महँगी दवा लिखना क्या डॉक्टर के कर्त्तव्य के साथ न्याय है? कमाई करना गलत नहीं है, लेकिन सेवा के नाम पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना निश्चित रूप से विचारणीय है।

महंगे स्कूल के बाद भी ट्यूशन क्यों?

इसी प्रकार हम अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाते है। भारी फीस अलग–अलग शुल्क और अन्य खर्च वहन करते है, लेकिन स्कूल से आने के बाद भी बच्चे को ट्यूशन भेजना पड़ता है।

तब प्रश्न उठता हैं– यदि महंगे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी बच्चे की पढ़ाई पूरी कराने के लिए अलग से ट्यूशन आवश्यक है, तो फिर इतनी महंगी स्कूल फीस किसी कर्त्तव्य की पूर्ति कर रही है?

निश्चित रूप से हर बच्चे की आवश्यकता अलग हो सकती है और अतिरिक्त मार्गदर्शन कभी–कभी आवश्यक भी होता है। लेकिन यदि ट्यूशन एक अनिवार्यता बन जाए, तो हमें शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक के कर्त्तव्य पर भी विचार करना चाहिए।

नेता और जनता के प्रति कर्त्तव्यः

इसी प्रकार हमारे नेता चुनाव के समय घर–घर दिखाई देते है। उस समय जनता से संपर्क, वादे और विश्वास की बातें होती है। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद वही जनता अपने प्रतिनिधि को ढूँढती रह जाती है।

क्या जनता के प्रति नेता की जिम्मेदारी केवल वोट मांगने तक है? यदि जनता ने अपना वोट अपना कर्त्तव्य निभाया है, तो चुने हुए प्रतिनिधि का कर्त्तव्य भी है कि वह जनता की समस्याओं को सुने, क्षेत्र में दिखाई दे ओर अपने वादों के प्रति जवाब देह रहे।

समस्या केवल दूसरों में नहीं हैः

लेकिन हमें केवल डॉक्टर, शिक्षक, नेता या सरकार कर्मचारी को ही दोष देना उचित नहीं होना चाहिए।
हमें अपने भीतर भी देखना होगा।

- कर्मचारी वेतन और सुविधाएँ चाहता है, लेकिन क्या वह पूरी ईमानदारी से काम करता है ?
- शिक्षक सम्मान और वेतन चाहता है, लेकिन क्या वह प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति के प्रति समान रूप से जिम्मेदार है ?
- डॉक्टर अपनी मेहनत और योग्यता का उचित मूल्य चाहता है, लेकिन क्या मरीज के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है ?
- नेता सत्ता और सम्मान चाहता है, लेकिन क्या जनता के प्रति अपने वादों का कर्त्तव्य निभाता हैं ?
- अभिभावक बच्चों से अच्छे परिणाम चाहते है, लेकिन क्या वे स्वंय बच्चों को पर्याप्त समय और संस्कार देते है ?
- नागरिक सरकार से सुविधाएँ चाहता है, लेकिन क्या वह अपने नागरिक कर्त्तव्य का पालन करता है ?
- स्कूल में बच्चों को प्रारम्भ से ही संविधान का ज्ञान होना आवश्यक है।

ड्यूटी बनाम कर्त्तव्यः

असल समस्या तब पैदा होती है जब ड्यूटी केवल नौकरी बन आती है और कर्त्तव्य केवल शब्द।

ड्यूटी हमें बताती है कि हमें क्या काम करना है, जबकि कर्त्तव्य हमें यह याद दिलाता है कि वह काम किस भावना और ईमानदारी से करना है।

ड्यूटी समय देखकर ड्यूटी पूरी कर लेना पर्याप्त नहीं है। उसमें ईमानदारी, संवेदना, जिम्मेदारी और सेवा, भाव का होना भी आवश्यक है।

अंततः सवाल हम सभी से है– जब तब ड्यूटी और कर्त्तव्य में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक विकास वास्तविक नहीं हो सकता।

हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए– ‘‘मुझे क्या मिलेगा?’’ बल्कि यह भी पूछना चाहिए– ‘‘ मेरी जिम्मेदारी क्या है?’’ ‘‘मैं अपने हिस्से का कर्तव्य कितनी ईमानदारी से निभा रहा हूँ?’’ क्योंकि समाज केवल अधिकार मांगने से नहीं चलता, बल्कि अधिकार और कर्त्तव्य के संतुलन से चलता है।

कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू है– जिसमें एक का अधिकार है और दूसरे का कर्तव्य।

देखा गया है कि अधिकतर नागरिक बंधुओं ने अपने–अपने मकान के आगे के फुटपाथ स्वयं हेतु उपयोग में लिये गये हैं। इसके अलावा अपने–अपने कर्तव्य की अवहेलनाओं के कारण स्वच्छता, पर्यावरण, नियमों की अवहेलना तथा ट्रैफिक नियंत्रण में भी समस्या रहती है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया है कि एक का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य। जीओ और जीने दो का मतलब आपके जीने का अधिकार है, पर आपका कर्तव्य है कि दूसरा भी जीयें।

अगर प्रत्येक नागरिक अपने प्रत्येक कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करेगा तो दूसरे नागरिकों के अधिकार एवं मानवाधिकारों का हनन कम होगा।

अधिकार पाने की इच्छा सब में है, कर्त्तव्य निभाने की भावना कितनो में है? ड्यूटी तो मजबूरी में भी की जा सकती है, लेकिन कर्त्तव्य वहीं है जो अंतरात्मा से निभाया जाए। ड्यूटी रोजी–रोटी का साधन हो सकती है, लेकिन कर्त्तव्य जीवन की सार्थकता है। जिस दिन व्यक्ति अपनी ड्यूटी को कर्त्तव्य–भावना से निभाने लगेगा, उस दिन केवल व्यवस्था नहीं–पूरा समाज बदलने लगेगा। केवल सरकार ही इन सभी समस्याओं का निदान नहीं कर सकती है, प्रत्येक नागरिक को भी पूर्ण रूप से भी सहयोग करने की आवश्यकता है।

अतः ड्यूटी और कर्त्तव्य में सामंजस्य ही अच्छे नागरिक और स्वस्थ समाज की पहचान है। जब हम अपने दायित्व को केवल काम न समझकर कर्त्तव्य– बोध और सेवा–भाव से निभाते है, तभी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ते है।

अधिकारों के प्रति जागरूक रहो और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहो। अनजान के प्रति संवेदनशीलता ही मानता है।

मोबाईल नम्बर– 9414066665